दिनांक 11.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 12/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

➢ **जनपद इटावा/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बाबा नरसिंह दास को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना बिंवार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना बिंवार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–छिद्दू 2–पारस 3–प्रेम नारायण को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 25–25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना टांडा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना टांडा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/511/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त इन्द्रजीत उर्फ मुनचुन को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कौशल को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद मीरजापुर/थाना कछवां

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर सइाकिल(बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 10.09.2023 को थाना कछवां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश पुलिस टीम पर जाने से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अमित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर सइाकिल(बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कछवां पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मीरजापुर व बिहार प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कछवां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित निवासी कुराइच थाना सासाराम टाउन जनपद रोहतास, बिहार।

बरामदगी

1–01 मोटर सइाकिल(बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना खोराबार

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 11.09.2023 को थाना खोराबार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त निखिल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खोराबार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खोराबार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निखिल निवासी खोराबार सुबाबाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

जनपद हाथरस/थाना हसायन

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 हजार 150 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 11.09.2023 को थाना हसायन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 10 हजार 150 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.07.2023 को थाना हसायन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हसायन पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हसायन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित निवासी काछियान कस्बा व थाना हसायन जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–चोरी के 10 हजार 150 रूपये नगद।

जनपद कुशीनगर/थाना तुर्कपट्टी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 ट्रैक्टर ट्राली, 01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 11.09.2023 को थाना तुर्कपट्टी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दोघरा ठाकुर चौराहा के पास से 05 अभियुक्तों 1–ओम प्रकाश 2–बिग्गु 3–सुरजीत 4–छोटे 5–प्रदीप को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी का 01 ट्रैक्टर ट्राली, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना तुर्कपट्टी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तुर्कपट्टी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्रैक्टर ट्राली, मोबाइल फोन आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना तुर्कपट्टी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओम प्रकाश निवासी ठाढीभार इन्दरपट्टी ताध थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर।

2–बिग्गु निवासी ठाढीभार इन्दरपट्टी ताध थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर।

3–सुरजीत निवासी ठाढीभार इन्दरपट्टी ताध थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर।

4–छोटे निवासी शाहपुर खलवा पट्टी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर।

5–प्रदीप निवासी दुखंडवा बतरौली थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1—चोरी का 01 ट्रैक्टर ट्राली, 01 मोबाइल फोन।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद इटावा/थाना भरेह

- **05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 11.09.2023 को थाना भरेह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पहलन मोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मध्य प्रदेश से डकैती के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु मध्य प्रदेश से 05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद इटावा, औरैया व मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों पर डकैती, अपहरण, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भरेह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नरेश कुमार निवासी ग्राम पहलन थाना भरेह जनपद इटावा।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना करहल

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 10.09.2023 की रात्रि थाना करहल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घिघोर रोड़ रेलवे क्रासिंग से 02 अभियुक्तों 1–कन्हैया उर्फ रिषभ 2'–ओसब उर्फ आरिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना करहल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कन्हैया उर्फ रिषभ निवासी ग्राम कैरावली थाना करहल जनपद मैनपुरी।

2'–ओसब उर्फ आरिफ निवासी नवाटेढा थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद महोबा/थाना कुलपहाड़

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 31 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 10.09.2023 को थाना कुलपहाड़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्रतीक्षालय मंगरौल कलां रोड के पास से 03 अभियुक्तों

1—मनीष 2—मुकेश कुमार 3—जयहिन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 31 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कुलपहाड़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनीष निवासी ग्राम बडखेरा थाना अजनर जनपद महोबा।

2—मुकेश कुमार निवासी ग्राम बडखेरा थाना अजनर जनपद महोबा।

3—जयहिन्द निवासी ग्राम बरूआ थाना मझगंवा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1—लगभग 31 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा।

2—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद अमरोहा/थाना गजरौला

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 12 हजार रूपये नगद**
- **विभिन्न बैंको के 66 एटीएम कार्ड, 01 स्वैप मशीन**
- **04 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 क्रेटा वाहन बरामद**

दिनांक 11.09.2023 को थाना गजरौला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भानपुर फाटक के पास से 03 अभियुक्तों 1—नाजिम 2—शहजाद 3—समीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 12 हजार रूपये नगद, विभिन्न बैंको के 66 एटीएम कार्ड, 01 स्वैप मशीन, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 क्रेटा वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नाजिम के विरूद्ध जनपद अमरोहा, बिजनौर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या, चोरी, धोखाधड़ी आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त समीर के विरूद्ध जनपद अमरोहा, बिजनौर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त शहजाद के विरूद्ध जनपद बिजनौर, अमरोहा के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नाजिम निवासी ग्राम सोफ्ता थाना गदपुरी जनपद पलवल हरियाणा।

2—शहजाद निवासी घाघोट थाना चांदहट जनपद पलवल हरियाणा।

3—समीर निवासी घाघोट थाना चांदहट जनपद पलवल हरियाणा।

बरामदगी

1—धोखाधड़ी के 12 हजार रूपये नगद।

2—विभिन्न बैंको के 66 एटीएम कार्ड, 01 स्वैप मशीन।

3—04 मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त 01 क्रेटा वाहन।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 631 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (विभिन्न ब्राण्ड) बरामद।

दिनांक 10.09.2023 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न ब्राण्डों की 631 पेटी अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत लगभग 90 लाख रुपये) मय वाहन आइसर 12 चक्का ट्रक सहित बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u> :–

1– गुरूप्रीत सिंह पुत्र श्री नक्षतर सिंह, निवासी ग्राम बाड़ा, पोस्ट कुलदीप नगर, थाना सदर, जनपद अम्बाला, हरियाणा **(चालक)।**

2– कृष्ण पुत्र राम नाथ निवासी ग्राम बाड़ा, पोस्ट कुलदीप नगर, थाना सदर, जनपद अम्बाला, हरियाणा **(सह चालक)।**

3– आशु पुत्र ओम प्रकाश, निवासी ग्राम बाड़ा, पोस्ट कुलदीप नगर, थाना सदर, जनपद अम्बाला, हरियाणा **(खलासी)।**

<u>बरामदगी</u> :–

1– 631 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 90 लाख रूपये)।

(I)	इम्पीरियल ब्लू	750 ml	374 पेटी।
(II)	इम्पीरियल ब्लू	375 ml	257 पेटी।

2– 01 अदद वाहन आइसर 12 चक्का ट्रक नम्बर एन0एल0 01 के0 9793 (कूटरचित नम्बर) एन0एल0–01 के0 9794 (वास्तविक नम्बर)।

3– 01 अदद मोबाइल फोन।

4– नगद 2460/– रूपये।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

लखनऊ–सुलतानपुर हाईवे पलिया पश्चिम मोड़ थाना क्षेत्र कमरौली, जनपद अमेठी। दिनांक : 10–09–2023 समय : 16.30 बजे।

विगत काफी दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

संकलित सूचना के क्रम में दिनांक 10–09–2023 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के उ0नि0 श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी संतोष कुमार, मुख्य आरक्षी संजय कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी रोहित सिंह, आरक्षी किशन चन्द्र व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम जनपद अमेठी थाना क्षेत्र कमरौली में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हरियाणा व चण्डीगढ़ प्रान्त से एक आइसर 12 चक्का ट्रक नम्बर एन0एल0 01 के0 9793 में लदी हुई अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु लखनऊ–सुलतानपुर हाईवे के रास्ते पटना बिहार प्रान्त ले जाया जायेगा। इस सूचना पर विश्वास कर लखनऊ–सुलतानपुर हाईवे उतेलवा बस स्टाप पहॅुचकर, स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए, लखनऊ–सुलतानपुर हाइवे पलिया पश्चिम मोड़ थाना क्षेत्र कमरौली के पास उक्त वाहन को रोककर चेक किया गया तथा सघन तलाशी से आइसर 12 चक्का ट्रक नम्बर एन0एल0 01 के0 9793 के अन्दर प्लास्टिक की सफेद रंग की पाश्ता की कुल 148 बोरी की आड़ में अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियों को छुपाकर रखा गया था। उक्त वाहन पर लदे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 03 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

विस्तृत पूंछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों का अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जिसके अन्य सहयोगी 1–पवन कुमार पुत्र रामफल निवासी 349 वीपीओ खेराती खेड़ा शहर फतेहाबाद हरियाणा, 2–मनवीर सिंह उर्फ मनु पुत्र सत्यभान सिंह निवासी बयाना खेड़ा 16 हिसार हरियाणा, 3–योगेश पुत्र अज्ञात निवासी जीरखपुर चण्डीगढ़ हैं। अवैध शराब की तस्करी का कार्य हम सभी लोगों द्वारा लगभग 10 वर्षों से किया जा रहा है और जो भी मुनाफा प्राप्त होता है उसे आपस में बराबर–बराबर बांट लिया जाता है। हम लोगों द्वारा अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए विभिन्न ब्राण्डो की अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी का काम देश के विभिन्न प्रान्तों खासकर जिसमें शराब विक्रय की पूर्ण रूपेण पाबन्दी है जैसे बिहार, झारखण्ड, गुजरात आदि विभिन्न प्रान्तों में किया जाता है। अवैध अंग्रेजी शराब लदवाने का काम पवन कुमार, मनवीर सिंह उर्फ मनु और योगेश द्वारा ही किया जाता है जिनके

द्वारा ट्रक लोड कर दे दिया जाता हैं। चालक द्वारा बताया गया कि पवन कुमार, मनवीर सिंह उर्फ मनु और योगेश द्वारा ही बिहार में अवैध शराब बेंचने के लिए स्थानीय तस्करों से सम्पर्क कर मुझे आइसर 12 चक्का ट्रक नम्बर एन0एल0 01 के0 9793 लेकर भेजा गया था। बिहार के स्थानीय शराब तस्करों एवं सप्लायर (हरियाणा/चण्डीगढ़) की आपस में दूरभाष/व्हाट्सएप पर सीधे वार्ता हो रही थी, इसलिये उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिलने पर सम्बन्धित को हम लोग माल दे देते हैं। मुझे बिहार राज्य तक शराब पहुॅचाने पर गैंग सरगना द्वारा 25 हजार रूपये ईनाम के रूप में दिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कमरौली जनपद अमेठी में मु0अ0सं0–95/2023 धारा– 419/420/467/468/471 भादवि व 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 480 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

दिनांक 11.09.2023 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 480 पेटी अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपये) व तस्करी में प्रयुक्त वाहन आइसर डीसीएम बरामद करने में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1– नरेन्द्र सिंह पुत्र मराता, निवासी ग्राम बरनाला, थाना पन्देखरा साहब, पो0 बलदेव नगर, जनपद अम्बाला, हरियाणा **(चालक)।**

2– जोगेन्द्र सिंह पुत्र सतबीर सिंह, निवासी 616/18 शिव कालोनी सफीदो रोड़ झोटा फार्म के पास ग्राम जिन्द सीटी, थाना जिन्द, जनपद जिन्द, हरियाणा **(सह चालक)।**

<u>बरामदगी</u> :–

1– 480 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 60 लाख रूपये)।

(I) राजधानी व्हीस्की (प्लास्टिक बोतल)–195 पेटी (750 ML)।

(II) राजधानी व्हीस्की (प्लास्टिक बोतल)–285 पेटी (180 ML)।

2– 01 अदद वाहन आइसर डीसीएम नम्बर एच0आर0–64ए–8178 (कूटरचित नम्बर) एच0आर0–64ए–8110 (वास्तविक नम्बर)।

3– 02 अदद मोबाइल फोन।

4– नकद 1980/– रूपये।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

लखनऊ–गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे पर 122 कि0मी0 (संकेतांक), थाना क्षेत्र कूरेभार, जनपद सुल्तानपुर। दिनांक–11.09.2023 प्रातः 07:45 बजे ।

विगत काफी दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

संकलित सूचना के क्रम में दिनांक 11.09.2023 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के उप निरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण संजय कुमार सिंह, संतोष कुमार, रोहित सिंह, आरक्षी किशन चन्द्र व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम जनपद सुल्तानपुर थाना क्षेत्र कूरेभार में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हरियाणा व चण्डीगढ़ प्रान्त से एक आइसर डी0सी0एम0 नम्बर एच0आर0–64ए–8178 में लदी हुई अवैध अंग्रेजी शराब प्रतिबन्धित प्रान्तों में विक्रय हेतु लखनऊ–गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के रास्ते पटना बिहार प्रान्त ले जाया जायेगा। इस सूचना पर विश्वास कर स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए, मुखबिर के बताये हुए स्थान लखनऊ–गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे

पर 122 कि0मी0 (संकेतांक) थाना क्षेत्र कूरेभार के पास पहुंचकर, उक्त वाहन को रोककर चेक किया गया तो डीसीएम के अन्दर लदे सड़े अण्डे की पेटियों की आड़ में अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियों को छुपाकर रखा गया था। उक्त वाहन पर लदे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 02 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

विस्तृत पूंछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों का अंग्रेजी शराब की तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जिसका मुख्य सरगना पवन कुमार पुत्र रामफल, निवासी 349 वी0पी0ओ0 खेराती खेड़ा शहर, फतेहाबाद, हरियाणा है। हम लोगों द्वारा अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए विभिन्न ब्राण्डो की अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी का काम देश के विभिन्न प्रान्तों खासकर बिहार, झारखण्ड, गुजरात व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किया जाता है। हम लोग सस्ते दामों में कम्पनियों से चोरी छिपे सॉठ–गॉठकर अंग्रेजी शराब लेकर ऊँचे दामों पर विभिन्न प्रान्तों में खासकर जिसमें शराब विक्रय की पूर्णरूपेण पाबन्दी है, जैसे गुजरात, बिहार व झारखण्ड आदि प्रान्तों में बेंचते है। पवन कुमार उपरोक्त द्वारा यह अवैध अंग्रेजी शराब चण्डीगढ़ से लोड कराकर बिहार में बेचने के लिये स्थानीय तस्करों से सम्पर्क कर मुझे आयसर डी0सी0एम0 लेकर भेजा गया था। बिहार के स्थानीय शराब तस्करों एवं सप्लायर (हरियाणा/पंजाब) की आपस में दूरभाष/व्हाट्सएप्प पर सीधे वार्ता हो रही थी, इसलिये उनके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मुझे बिहार व झारखण्ड राज्य तक अवैध अंग्रेजी शराब पहुॅचाने पर गैंग सरगना द्वारा 20 हजार रूपये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कूरेभार, जनपद सुल्तानपुर में मु0अ0सं0–234/2023 धारा : 419/420/467/468/471 भादवि व 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––––––